

अध्यक्ष/आयुक्त महीदय

दिनांक 08.12.88 को हृषी मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त सम्मुख पृष्ठ पर आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Sanika
सावित्री,
मोटेठो विभाग,
देहरादून।

Sham
उपस्थित,
मोटेठो विभाग,
देहरादून।

15.12.88

Sham

दिनांक 0-12-1988 को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति :-

क्रमांक	नाम व पद
	श्री. राजेश कुमार
	देवी प्रियंका
	सदस्य

- 1- श्री रमेशचंद्रपंतगती, आग्रगत गढ़वाल माड्यूल
-----अध्यक्ष
- 2- श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, म0द0वि0पु10 ।
-----उपाध्यक्ष
- 3- श्री विधापुरी, विलाधिकारी, देहरादून ।
-----सदस्य ।
- 4- श्री हीरा सिंह बिहड़, नगर
विकासक, देहरादून -----सदस्य
- 5- श्री जोध सिंह, अध्यक्ष,
नगरपालिका, मसूरी -----सदस्य
- 6- श्री विष्णुस्वल्प, विशेष
एचिव, नगर विकास, उ0पु10
शासन, लखनऊ -----सदस्य
- 7- श्री प्रभाकर, विशेष
कार्याधिकारी, उ0पु10शासन,
लखनऊ । -----सदस्य
- 8- श्री रमेशचंद्र, अरण्यपाल,
भगीरथी वृत्त, देहरादून ----- सदस्य
- 9- श्री पी0के0शर्मा, अधीक्षक
अभियन्ता, 24वां वृत्त,
सांवि0वि0, देहरादून -----सदस्य
- 10- श्री रव0के0शर्मा, वरिष्ठ
निर्वाहक, नगर रव ग्राम
विभाग, उ0पु10 लखनऊ । ----- सदस्य
- 11- श्री के0रन0कोठिवाल,
श्री0रम0डी0आडी0सी0,
देहरादून -----सदस्य

अन्य उपस्थित :-

- 1- श्री रमेशचंद्रपंतगती, देहरादून
- 2- श्री महेंद्र कुमार, अधीक्षक
अभियन्ता, वृत्त निगम, देहरादून
- 3- श्री कुंज 0 श्री रानी, सहायक अभियन्ता
- 4- श्री श्री 0 श्री श्री, सहायक अभियन्ता
- 5- श्री श्री 0 श्री श्री, सहायक अभियन्ता

विषय क्रमांक :- 1 :- गत बैठक दिनांक 02.08.1988 की कार्यवाही की पुष्टि :-

गत बैठक दिनांक 02.08.88 की कार्यवाही, जो सदस्यों को पहले ही भेजी जा चुकी थी, की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी व अद्यः ।
महोदय द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज/साधर किये गये ।
दर्रा में प्रशासन विभाग की सभिति की रिपोर्ट पढ़ी गयी तथा इस पर विचार व निर्णय आगामी बैठक के लिये स्थगित विधायक रखा ।
विषय क्रमांक :- 2 :- 30.9.1988 तक भवन मानचित्रों व अनधिकृत निर्माणों के बाटों के निस्तारण की प्रगति ।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विवरण की समीक्षा की गयी । दो माह के अधिक पुरानी मानचित्र पत्रावलिओं केवल 7 पाई गयी । ये पत्रावलियां आवेदकों द्वारा ही विक्रय नगुलक जमा करने में बिलम्ब के कारण अनिस्तारित है। यह निर्देश दिये गये कि यदि निर्धारित समय में विक्रय नगुलक जमा नहीं किया जाता है तो मानचित्र निरस्त कर दिये जायें।

अनधिकृत निर्माण के 219 बाट लम्बित पाये गये जिनके शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया गया ।

कार्यवाही संचिव, वि०प्रा०।

विषय क्रमांक :- 3 :-
शासन को भेजे गये भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्तावों के आधार पर भवन मानचित्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

जन समस्याओं को देखते हुये सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर मौजा कांवली के जिन गाटाओं का भूउपयोग आवासीय में किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है उसमें सर्वसम्मति से गाटा संख्या-703 का भूउपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाय।

कार्यवाही सचिव/सहयुक्त नियोजक।

विषय क्रमांक :- 4 :- बसन्त ण्ड इन्कलेब ग्राम कांवली के आवासीय

तलपट मानचित्र का पवनियोदन

ग्राम काँवली में स्थित खररा नम्बर-1366, 1366/1, 1367, 1382, 1383, 1382/1, 1383 तथा 1385/1 में कुल क्षेत्रफल 11614.5 वर्ग मीटर में प्रस्तुत आवासीय तलपट मानचित्र पर विचारोपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि तलपट मानचित्र उपयुक्त है परन्तु इसको स्वीकृत करने से पूर्व उपाध्यक्ष निम्नलिखित बिन्दुओं का परीक्षण कर लें :-

1-सीलिंग के प्राविधानों से तो यह भूमि प्रभावित नहीं है और ^{नहीं} कपार सीलिंग अधिनियम लागू है।

2-भूखण्डों के स्वाधियों द्वारा श्री नन्दन सिंह रावत के पक्ष में दिखे गये पावर आफ़ रटर्नी के सम्बन्ध में कानूनी सलाह प्राप्त कर ली जाय कि इस पावर आफ़ रटर्नी के आधार पर भूस्वामी एक व्यक्ति को भूमि बेच सकते हैं और सीलिंग के अनुसार उस व्यक्ति पर 2,000 परसमीटर से अधिक भूमि क्रय करने की पाबन्दी नहीं है।

विषय क्रमांक:-5:-
प्राधिकरण के गठन से पूर्व प्रतिकूल भूउपयोग के अन्तर्गत स्थापित भिन्न-भिन्न कैटेग्रीयों के स्थापित जातिंग के सम्बन्ध में।

आयुक्त गडवाल मण्डल की अध्यक्षता में शासन के पत्र संख्या- 4483/37-3-49 स्न/के/बी/85, दिनांक 02.4.87 द्वारा जो समिति देहरादून महायोजना के विस्तारियों के अभिमान स्वयं उनके निराकरण की कार्यवाही हेतु गठित की गयी थी उस कमेटी की कार्यवाही की प्रक्रिया में कुंआ बाला क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना वर्ष उनकी नियमानुसार स्वीकृति स्वयं उत्पादन आदि के विवरण प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निम्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा समयानुसार अनागत पक्ष स्पष्ट नहीं किया और अब इनके द्वारा दिखे गये प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया जो ~~विचार हुआ~~ :-

- 1-शाकुन्त तालवेड रण्ड कैमिलन्स प्रा0लि0 ।
- 2-शाकुन्त पेपर प्रा0लि0 ।
- 3-भूषण कैमिकल्स ।
- 4-भूषण ब्रदर्श प्रा0लि0 ।

5-परवातून डाटादीज रसोसिधेधन, ग्राम कुंआवाला ।

सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि :-

- 1- बुंकि इन डीकाईयों से निघत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र द्वारा मानचित्र अस्वीकृत किसे जाने पर भी निर्माण किया अतः उनसे इसका कारण पूछा जाय ।
- 2- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इन डीकाईयों के बारे में प्रदूषण की दृष्टि से पूछा जाय ।
- 3- यह परीक्षण किया जाय कि क्या इन डीकाईयों के ऊपर अभी भी अभियोजन किया जा सकता है।
- 4- स्थाट जोनिंग अभी न किया जाय ।

कार्यवाही सचिव।

विषय क्रमांक :-6:-

प्रकाश लोक कालोनी के तलपट मानचित्र जो का
पूर्वानुमोदन ।

श्री राकेश बत्ता द्वारा प्रकाश लोक कालोनी नाम से प्रस्तुत आवासीय तलपट मानचित्र प्रस्तुत किया गया। यह तलपट मानचित्र ग्राम शेवला कलां स्थित खसरा नम्बर-131/2, 118, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, कुल क्षेत्रफल 3, 485 वर्ग मीटर में प्रस्तावित किया गया है। तलपट मानचित्र की तकनीकी जांच महायोजना एवं मसूरी-देहरातून विकास प्राधिकरण की विकास एवं निर्माण उपविधि में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कर ली गयी है। तलपट मानचित्र प्रावधानों के अनुसार सही पाया गया। प्रस्तावित ले-आऊट में कोई बूझ नहीं है व पार्क/सड़कों का प्रावधान किया गया है। अतः सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि सी-लिंग अधिनियम के क्षेत्र से बाहर होने की पुष्टि करने व पावर आफ स्टैनी के सम्बन्ध में कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद उपाध्यक्ष अन्तिम निर्णय ले लें।

कार्यवाही उपाध्यक्ष।

विषय क्रमांक:-7:-

शिष्टा सहकारी आवास समिति के आवासीय
तलपट मानचित्र का पूर्वानुमोदन ।

प्रस्तुत तलपट मानचित्र व उसके सम्बन्ध में नगर नियोजक की परीक्षण आहवा पर विद्यारोपरान्त सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाय :-

- 1- पत्रवली में प्रस्तुत सीनिंग विभाग के पत्र में जिला जज के जिस निर्णय का उल्लेख हुआ उसके संदर्भ में क्या सम्पत्ति द्वारा क्रय की गयी भूमि सीनिंग के प्राविधानों से मुक्त है ।
- 2- सम्पत्ति द्वारा सीनिंग विभाग से मुक्ति प्राप्त भूमि को क्रय करने से पूर्व क्या अनुमति आवश्यक थी।
- 3- क्या भू-स्वामी द्वारा भूमि को बेचते समय शासन की अनुमति आवश्यक थी या नहीं ।

विषय क्रमांक:-8:-

लक्ष्मी विहार, ग्राम माजरा के तलपट मानचित्र का पूर्वानुमोदन ।

सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि पहले भूउपयोग के प्रस्तावित

परिवर्तन पर शासन से अन्तिम विज्ञापित जारी होने दी जाय तथा इस बीच यह परीक्षण कर लिया जाय कि यह भूमि सीनिंग अधिनियम के अधिकारर क्षेत्र से बाहर है और पावर आफ स्टान्डी के सम्बन्ध में कानूनी सलाह ले ली जाय।

विषय क्रमांक:-9:-

ग्राम कांवली के गाटा संख्याओं का भूउपयोग शासकीय/अधशासकीय कार्यालयों से बदलकर आवासीय किये जाने विषयक :-

इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, वह दिनांक 20.9.1987 की प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्ति के विषय क्रमांक-6 के अनुसार है परन्तु प्राधिकरण के निर्णय में उन सम्पूर्ण गाटा संख्याओं का उल्लेख नहीं है जिन्हें भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में गठित की गयी सम्पत्ति की रिपोर्ट दिनांक 20.6.1987 में दर्शाया गया है। इस प्रकार भिन्नता हो जाने के फलस्वरूप पुनः संशोधित सजरा बैठक के औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया और सर्व-सम्पत्ति से निम्नलिखित निर्णय सु हुआ :-

- 1- शासन को जो भूउपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा गया है

उसमें भूमि खसरा नम्बर-655 आंशिक, 662 आंशिक, 663 आंशिक, 664 आंशिक, 665, 666, 696, 698, 699, 700, 703 तथा 707 का उल्लेख है तथा कुल क्षेत्रफल 6.97 एकड़ है और प्राधिकरण ने इसे अनुमोदित किया।

2-इसके अतिरिक्त गाटा संख्या-653 आंशिक, जो प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध है को कार्यालय उपयोग में बनाये रखना न तो सम्भव है, और नही व्यावहारिक है। अतः इसका भूउपयोग भी आवासीय में परिवर्तित किया जाय व तदनुसार शासन को प्रस्ताव भेजा जाय।

कार्यवाही सचिव/सहयुक्त नियोजक।

विषय क्रमांक:-10:-

प्रादेशिक को-आपरेटिव फेडरेशन द्वारा अधिग्रहित खसरा नम्बर-142 एवं 150 स्थित ग्राम निरंजनपुर का भूउपयोग परिवर्तन।

प्रादेशिक को-आपरेटिव फेडरेशन द्वारा ग्राम निरंजनपुर देहरादून

में गोदाम बनाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 142 एवं 150 खरीदी गयी थी।

नगर महायोजना में प्रयत्नगत भूमि का उपयोग शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों हेतु प्रदत्त है। इस प्रकार फेडरेशन द्वारा गोदाम का निर्माण भूउपयोग के प्रतिकूल पार जाने के कारण प्राधिकरण की दिनांक 29.7.1987 में

भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय के अनुसार शासन को प्रस्ताव भेजा गया परन्तु वह प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय से भिन्न होने के फलस्वरूप पुनः संशोधित सजरा बैठक के औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि प्रस्तावित भूउपयोग पर 2.97 एकड़ का भूउपयोग सी-4 क्षेत्रफल 2.97 एकड़ का भूउपयोग सी-4 क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाय।

कार्यवाही सचिव/सहयुक्त नियोजक।

विषय क्रमांक:-11:- देहरादून में विद्युत शक्ति गृह हेतु रोडरी क्लब का प्रस्ताव।

जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष की रोडरी क्लब के पदाधिकारियों के साथ हुयी बातचीत को ध्यान में रखते हुये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ :-

- 1-युक्ति भूमि शासन की है और अधिकांश धन शासन का लोणा व शबदाह गृह संचालन प्राधिकरण द्वारा किया जाना है अतः शबदाह गृह का निर्माण प्राधिकरण द्वारा कराया जाय ।
- 2- निर्माण व संचालन समिति में रोटररी क्लब के एक प्रतिनिधि को रखा जाय ।
- 3-ओरनजींसीद्वारा बनाये गये डिजायन व इस्टीमेट को निर्माण निगम को दिखा दिया जाय क्योंकि निर्माण निगम द्वारा ही निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।
- 4-ओरनजींसीं के इस्टीमेट के अनुसार शासन को 19.00 लाख रु० भीष्ट स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा जाय।

कार्यवाही सचिवः

विषय क्रमांक:-12:-

श्री संजीव कुमार सोनी तथा अन्य द्वारा प्लाट संख्या 58 राजेन्द्र नगर कोलागढ़ रोड, देहरादून में दूकानों का निर्माण ।

सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि संगो-धित मानविद्य का परीक्षण सहयुक्त नगर नियोजक से करावा कर उपाध्यक्ष अन्तिम निर्णय ले लें। सहयुक्त नियोजक छई निम्नलिखित बिन्दुओं का भी परीक्षण करेंगे।

- 1-क्या प्रस्तावित दूकानों से घनत्व के आधार पर *Competition* तो नहीं होगा ।
- 2-पार्किंग व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं ।
- 3-क्या इस क्षेत्र में और दूकानों की आवश्यकता है।

विषय क्रमांक:-13:-

केन्द्रीय व अन्तर्देशीय प्राधिकरण सेवा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से सी०पी०एफ० मद में ~~वेतन~~ कटौती में प्राधिकरण का 6% अंश जमा करने पर विचार ।

प्राधिकरण का गठन वर्ष 1984-85 में हुआ है। प्राधिकरण में केन्द्रीय व अन्तर्देशीय सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों का नियुक्ति वर्ष 1985-86 से की गयी है, जिनके वेतन से सी०पी०एफ० मद में कटौती की गयी है जिसमें प्राधिकरण का अंश 6% मूल वेतन ~~से~~ कटौती है।

का जमा कराया जाना अपेक्षित है। सर्वसम्पत्ति से निर्णय हुआ कि 3070 शासन के शासनादेश सं०-62/11-4-डी०ए०-85, दिनांक 25.6.85 के प०सं० 33 के क्रमांक के द्वारा दिये गये प्राविधानों को अपनाने हुये वर्ष 1985-86 व 86-87 व 87-88 में ~~कर्मचारियों~~ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से सी०पी० एफ० में की गयी कटौती का अनुमोदन किया जाय व उक्त अवधि का $6\frac{1}{2}\%$ आ प्राधिकरण बजट से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खातों में जमा कराने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया तथा अग्रेत्तर भी उक्त शासनादेश के अनुरूप जमा कराने का प्राविधान कराने के निदेश दिये गये।

विषय क्रमांक:-14:- बंगारावाला क्षेत्र को ग्रीनबेल्ट से मुक्त रखने के सम्बन्ध में।

पुर्नवास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी ने अपने पत्रांक 201/कैम्प/पु०नि०टि०बा०परि०/बंगारावाला/88 दिनांक 01.8.88 द्वारा अज्ञात कराया है कि बंगारावाला क्षेत्र की लगभग 198 एकड़ भूमि टिहरी बांध परियोजना से विस्थापितों को बसाने हेतु उनको आवंटित करने का प्रस्ताव पुर्नवास निदेशक वि० टिहरी बांध परियोजना ने भेजा है। वहां पर आधा एकड़ के प्लॉट कृषि हेतु व 200 वर्गमीटर के आवासीय प्लॉट विकसित किए गए हैं और अब तक 92 परिवारों को आधा-आधा एकड़ के प्लॉट आवंटित किये गये हैं। पुर्नवास निदेशक का उपरोक्त पत्र प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। ~~880000000000000000~~

सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि पुर्नवास निदेशक से उस भू-भाग की सीमा व खसरा नम्बर ज्ञात किये जाय जिनका भूउपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाना है व उस भूमि की सीमा व खसरा नम्बर भी मंजूर जाय जिनका भूउपयोग कृषि ही रहेगा। उनसे ने-आऊट भी मांगा जाय।

कार्यवाही सचिव।

इस क्षेत्र में पेड़ों के काटे जाने की बात भी कही गयी। यह निर्णय हुआ कि ऊपर मुख्य वन संरक्षक मसूरी इसकी जांच करा लें।

कार्यवाही अपर मुख्य वन संरक्षक।

विषय क्रमांक:-15:-

भवन मानचित्र सं0-605/86, 14/15 त्यागी रोड
देहरादून जो मयंक होटल के परिवर्धन व परिवर्तन
में सम्बन्धित है, की स्वीकृति के संबंध में विचार

संयुक्त सचिव, ए विकास प्राधिकरण की गांव आख्या का अवलोकन

किया गया, और सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजक पार्किंग
के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था सड़क की चौड़ाई व आवागमन को ध्यान
में रखते हुये अपनी आख्या/संस्तुति उपाध्यक्ष को दी जिन्हें इस मामले में
अंतिम निर्णय हेतु अधिभूत किया गया।

विषय क्रमांक:-16:-

अजबपुरकला, अजबपुरखुर्द, देहराखुास, कारगीग्राण्ट,
वामनवाला व मानरा गांव में बाईपास के
वास्तविक निर्माण के कतिपय भूखण्डों का भू-
उपयोग प्रभावित होना।

सहारनपुर रोड़ से हरिद्वार रोड़ तक बाईपास निर्माणाधीन है

यह बाईपास वास्तविक रूप से प्रस्तावित रलाईनमेंण्ट से कुछ भिन्न बना है
अब यह सम्भव नहीं है कि इसे मानकर चला जाय। महायोजना में इस समय
जिन भूखण्डों का भूउपयोग आवासीय या कृषि अंकित है, यह बाईपास उनको
प्रभावित करते हुये ही निर्मित हुआ है तथा आगे भी हो रहा है। ऐसे
भूखण्डों का विवरण प्रस्तुत किया जाय।

सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि अभी कारगी ग्राण्ट बाह्यमणवाला व
मानरा के जिन खसरा नम्बरों में मार्ग बन चुका है केवल उनका ही भू-
उपयोग परिवर्तित किया जाय।

कार्यवाही सहयुक्त नियोजक।

विषय क्रमांक :- 17:-

केन्द्रीय कर्मचारी सहाकारी आवास समिति
लिमिटेड धीरणखास के आवासीय तलपट मान-
चित्र का पुनर्निर्माण।

उक्त समिति द्वारा एक आवासीय तलपट मानचित्र विकास
प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। यह तलपट मानचित्र ग्राम

धीरणखास स्थित खसरा नम्बर 458, 459, 460, 454, 455, 456, 453, 452, 451, 450, 448, 447, 446, 445 तथा 444 जिसका कुल क्षेत्रफल 74977 वर्गमीटर है, पर प्रस्तावित किया गया है। आपत्तियों का निराकरण करते हुए पुनः संशोधित मानचित्र तैयार कराया गया जिस पर सहयुक्त नियोजक की आख्या को देखते हुए सर्व-सम्मति से तलपट मानचित्र की स्वीकृति का पूर्वानुमोदन प्रदान किया जाया। सचिव अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करा कर स्वीकृति प्रदान कर दें।

कार्यवाही सचिव।

विषय क्रमांक:-18:-

भवन मानचित्र पत्रावली सं०-880/88-89 में भूतल पर छः टुकड़ों, प्रथम तल पर एक टुकड़ा व एक आक्षिप्त रूप के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजक स्थल निरीक्षण कर अपनी आख्या उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे जो उनकी आख्या /संस्तुति को देखते हुए अन्तिम निर्णय लेंगे।

कार्यवाही सहयुक्त नियोजक।

विषय क्रमांक:-19:-

प्रीति इन्कलेव, ग्राम माजरा के तलपट मानचित्र का पूर्वानुमोदन।

उक्त संदर्भित 00 तलपट मानचित्र प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.8.1988 में पूर्वानुमोदन हेतु रखा गया था। बैठक में यह निर्णय हुआ था कि जिन खसरा नम्बरानों में नहर विभाग की सड़क अंकित है, ऐसे विवादित खसरा नम्बरानों के बारे में सहयुक्त नियोजक द्वारा जांच कर ली जाए तथा नहर विभाग की भूमि पर सड़क बनाने के लिये सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता की लिखित सहमति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाये। तदनुसार आवेदक को सूचित किया गया था। ^{अनेक खसरा नहर विभाग का अनुमान सम्बन्ध पूर्व प्रस्तुत किया गया है।} अन्य आपत्तियों के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा पुनः संशोधित मानचित्र टांकित किए गए हैं। संशोधित तलपट मानचित्रों की जांच सहयुक्त नियोजक द्वारा कर ली गयी है। संशोधित तलपट मानचित्र महायोजना एवं मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की विकास एवं निर्माण उपविधि में नीबिल प्राविधानों के अन्तर्गत पाया गया और सभी आपत्तियों का निराकरण भी होना पाया गया। इस

क्षेत्र कुछ पेड़ इधर-उधर छिले हुए हैं जो निर्माण से प्रभावित नहीं होंगी और इनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में आवेक ने सपथ पत्र भी टाजिल किया है। सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि सी-लिंग अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की पुष्टि करने व पावर आफ स्टान्डी के सम्बन्ध में कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद उपाध्यक्ष इस मामले में निर्णय ले लें।

विषय क्रमांक:-20:-

सिद्धार्थ सहकारी आवास समिति लि0 देहरादून के तलपट मानचित्र का पुर्वानुमोदन ।

उक्त समिति द्वारा एक आवासीय तलपट मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। यह तलपट मानचित्र ग्राम कण्डोली में 30895 एकड़ भू-क्षेत्रफल पर प्रस्तावित किया गया है। समिति के तलपट मानचित्र में कुछ कमियाँ थी जिसे उत्तर में समिति द्वारा कमियों का निराकरण करते हुये संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। संशोधित मानचित्रों की जर्चिं सहयुक्त नियोजक द्वारा कर ली गयी है तथा पाया गया कि समिति द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

अतः सर्व-सम्पत्ति से तलपट मानचित्र की स्वीकृति को पुर्वानुमोदन प्रदान किया गया। संविव अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करा लें।

कार्यवाही संविव।

विषय क्रमांक:-21:-

राजपुर रोड़ स्थित ब्लौट संख्या-57/19 पर शिवत प्लेस व्यावसायिक दुकानों का निर्माण ।

इस विषय पर संशोधित मानचित्र पर सहयुक्त नियोजक की आख्यता का अवलोकन किया गया और जिलाधिकारी, देहरादून के दि0007.12.88 के पत्र में प्रकट की गयी आपत्तियों पर विचार किया गया। यह ठीक उचित नहीं समझा गया कि नहर विभाग सड़क के किनारे अपनी जमीन को लीज पर देयें की कार्यवाही अभी भी कर रहे हैं जबकि बहुत पहले यह निर्णय हो चुका है कि सड़क के किनारे सिंवाड विभाग लीज न दें। सड़क के किनारे सिंवाड विभाग की जमीन के उपयोग की अनुमति पाकिंग के लिये देना उचित नहीं समझा गया क्योंकि रैसा करने से इस भूमि पर बाद में निर्माण हो सकते हैं अतः इस भूमिको

छोड़ते हुये और जिलाधिकारी की आपत्ति को ध्यान में रखते ~~हैं~~ विकल्पों के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक व अधीक्षण अभियन्ता सांख्यिक निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी संयुक्त निरीक्षण कर अपनी बैठक में अपनी ~~बैठक~~ प्रस्तुत करेंगे।

1 कार्यवाही सहयुक्त नियोजक/अधीक्षण
1 अभियन्ता, सांख्यिक, देहरादून ।

अनुपूरक विषय क्रमांक:-01:-

शासन के आदेश संख्या 1957/11-4-वि0प्र0/86-19 111 रस,
दिनांक 28.10.1986 द्वारा प्राधिकरण मसूरी-देहरादून में राजस्व निरीक्षक तथा विधि सहायक के दो पद सृजित किये गये थे। इन दो पदों पर नियुक्ति हेतु स्थानीय सेवायोजना कार्यालय से नाम प्रारूप कर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के पश्चात् विधिवत् चयन किया गया था। पद केन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत होने के कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु शासन को प्रस्ताव पत्र सं0-451-स्था0-71/86-87 दिनांक 23.4.87. द्वारा भेजा गया था। शासन से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्राधिकरण के राजस्व व वित्ति कार्यों की के विस्तार एवं उनके त्वरित सम्पादन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तदर्थ रूप से नायब राजस्व मोहरीर तथा विधि निरीक्षक के पद पर कर दी गयी है व कार्भरत है एवं शासन को भी स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

अतः सर्व-सम्मति से प्राधिकरण के सम्मुख ~~है~~ प्रस्ताव इस शर्त से अनुमोदित किया गया है कि उपरोक्त ~~कर्मचारियों~~ कर्मचारी शासन के उपरोक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के उच्च पदों के रवेन्स में कनिष्ठ पदों क्रमाः नायब राजस्व मोहरीर तथा विधि निरीक्षक के पदों, विनका वेतनमान रु0 340-550 है, में तदर्थ व पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत ही कार्भरत माने जायेंगे।

अनुपुरक विषय क्रमांक:-2:-

पर्यटक, काम्प्लेक्स, मसूरी में आवासीय भवनों का निर्माण ।

यूँकि प्रस्तावित निर्माण माल रोड़ पर पूर्व निर्मित गढ़वाल मण्डल विकास निगम के टूरिस्ट काम्प्लेक्स के नीचे है अतः दूनघाटी के दूरयावलोकन में अवरोध उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता है, परन्तु यह निर्मित नहीं है कि जिस भूमि पर निर्माण प्रस्तावित है, उसकी टाल स्थिति को देखते हुये वहाँ निर्माण उचित है या नहीं और निर्माण के दौरान भूमि कटान तो नहीं होगा। अतः सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजक इस मानचित्र का परीक्षण स्थल की आकृति को देखते हुये करेगी और अपनी आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

।कार्यवाही सहयुक्त नियोजक।

अनुपुरक विषय क्रमांक:-3:-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय में अनुमानित 74,000/- लागत की फोटी स्टैट मशीन लगाने के सम्बन्ध में ।

सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि एक रेसी बड़ी मशीन कान्स्ट्रक्ट पर क्रय की जाय जिससे शान्तिनगर को द्रोक्ष कराना अधिक आसान हो सके।

।कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक।

अनुपुरक विषय क्रमांक:-04:-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव/संयुक्त सचिव को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

वर्तमान समय में प्राधिकरण के अपने अधिकारियों के लिये किसी प्रकार के आवासीय भवन उपलब्ध नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सचिव तथा संयुक्त सचिव को आवासीय सुविधा में कठिनाई का

शासना करना पड़ता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी सरकारी आवास का उपयोग करता है तो उसके मासिक वेतन से किराए के रूप में विलत विभाग के शासनादेशों के अनुसार 10% कटौती की जाती है तथा इसके अतिरिक्त वाह्य सेवायोजक अपने कोष में सम्बन्धित अधिकारी के वेतन के 15% के बराबर धनराशि राजकीय कोष में जमा कराने हेतु उत्तरदायी होता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्ति अवधि में शासन को दोनों स्त्रोतों से मिलाकर सम्बन्धित सरकारी अधिकारी के वेतन के 25% के बराबर धनराशि किराये के रूप में प्राप्त होगी। यहीं व्यवस्था सम्बन्धित अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी आदेशों में शासन द्वारा उल्लिखित की गयी है।

वर्तमान में प्राधिकरण ^{के} जो अधिकारी आफिसर्स कालोनी में रह रहे हैं उनसे मकान खाली कराये जा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के स्थानान्तरण पर आये अधिकारियों के लिये आवास नहीं है। अतः अब सर्व-सम्मति से यह निणय हुआ कि सचिव व संयुक्त सचिव के लिये ^{शुद्ध} दो आवासीय भवन तीन वर्ष की अवधि के लिये 1500/- प्रतिमाह, मकान की सीमा तक के लिये जायें और उनका किराया प्राधिकरण के कोष से बहन किया जाय तथा जो अधिकारी उपाध्यक्ष/सचिव/संयुक्त सचिव उक्त आवास का उपयोग करेंगे उनके वेतन से 10% नियमित कटौती की जायेगी तथा उक्त अधिकारीगण किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता पाने के पात्र नहीं होंगे। यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण भी शीघ्र अधिकारियों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण करें।

अनुपूरक विषय क्रमांक:-05:-

नन्दा की चौकी, कोल्हूपानी देहरादून में स्थित बीज गोदाम के भवन निर्माण विषयक

उप कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्र दि० 07.11.88 के द्वारा सूचित किया गया है कि देहरादून में नन्दा की चौकी के पास बफर गोदाम स्वयं बीज विधायन संघ की स्थापना तथा संग्रहीत बीज का भंडारित करने हेतु बफर गोदाम स्थापित करने हेतु निर्माण करलिया

गया है जिसका 95 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। यह निर्माण कृषि क्षेत्र में है। चूंकि कृषि क्षेत्र में सम्बन्धित निर्माण प्राधिकरण की अनुमति से ही हो सकता है और चूंकि यह निर्माण भी कृषि से सम्बन्धित है अतः सर्व-सम्पत्ति से इस शर्त पर निर्माण का अनुमोदन किया गया कि 500 से अधिक पेड़ सम्बन्धित विभाग द्वारा लगाये जायें व पूर्व स्वीकृति के बिना निर्माण करने के कारण मामले को प्रशमनित किया जाय ।

कार्यवाही सचिव

अनुपूरक विषय क्रमांक:-6:-
प्राधिकरण की मोहिनी रोड आवासीय योजना तथा देहरादून के स्वच्छकारों को साईट एवं सविलेज उपलब्ध कराने हेतु श्रण प्राप्त करने के लिये उपपट्टयक्ष/सचिव को अधिकृत करने के सम्बन्ध में ।

मोहिनी रोड पर प्राधिकरण के प्लट 2210 वर्गमीटर भूमि पर अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु इलाहाबाद बैंक या अन्य व्यावसायिक बैंक से रु0 10 लाख श्रण प्राप्त किया जाना है। सर्व-सम्पत्ति से श्रण प्राप्त करने तथा योजना विवत करने हेतु उपपट्टयक्ष/सचिव को अधिकृत किया ^{जा} है।

2- इसी प्रकार धर्मपुर में ग्राम सभा से प्राप्त भूमि पर भी अल्प आय व निबल आय वर्ग की आवासीय योजना का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिये भी इलाहाबाद बैंक या अन्य व्यवसायिक बैंक से श्रण प्राप्त करने के लिये उपपट्टयक्ष/सचिव को अधिकृत किया गया ।

3- इसी प्रकार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सीलिंग विभाग से प्राप्त होने वाली भूमि पर नगरपालिका के स्वच्छकारों हेतु 250 साईट स्पड सविलेज का निर्माण किये जाने हेतु एक सो सियोर-इकोनोमिक योजना धनांक 7.5 लाख की बनायी गयी है जिसे क्रिया विवत करने तथा इलाहाबाद बैंक या अन्य व्यावसायिक बैंक से श्रण लेने हेतु उपपट्टयक्ष/सचिव को अधिकृत किया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक:-07:-
शान्तिविहार कालोनी के तलपट मानचित्र का पवनमोदन ।

संक्षेप

श्री। रमेश्वर कुमार द्वारा शांति विहार कालोनी में प्रस्तावित आवासीय तलपट मानचित्र प्रस्तुत किया गया। यह तलपट मानचित्र मथुरावाला रोड़, ग्राम अबबपुरकलां स्थित भूमि खसरा नम्बर-1018, 1019, 602, 1020, 1022, 1103, 1102, 1101 भाग, 1108 भाग, 1105, 1106, 1107 तथा 600 भाग कुल भूखेजफल 41243 वर्गमीटर परप्रस्तावित किया गया है। संशोधित तलपट मानचित्र की तकनीकी जांच महायोजना एवं मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की विकास एवं निर्माण उपविधि में नीहित प्राविधानों के अर्न्तगत सहयुक्त नियोजक, देहरादून से कराली गयी है। तलपट मानचित्र नीहित प्राविधानों के अनुसार सही पाया गया। अतः सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि महायोजना में निर्धारित व अब प्रस्तावित बाईपास को ध्यान में रखते हुये व यह सुनिश्चित करते हुए कि बाईपास वाली भूमि तलपट मानचित्र में अंकित भूमि प्रभावित न हो और पावर आफ रटानी के सम्बन्ध में कानूनी सबाह प्राप्त करने के उपरान्त उपरोक्त स्वीकृति प्रदान कर दें।

कार्यवाही उपरोक्त।

अनुपुरक विषय क्रमांक:-08:-

प्राधिकरण बाजार में गढ़वाल मण्डलीय पत्रकार मंच 18जि01 की कार्यालय हेतु एक दूकान 100 प्रति माह किराये पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।

सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि 100/- प्रतिमाह किराया बहुत कम है और इस मुँच की मान्यता के बारे में जिला सूचनाअधिकारी से पूछा जाय।

कार्यवाही सचिव।

अनुपुरक विषय क्रमांक:-09:-

मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैण्ड के पास कार पार्किंग के नीचे कार्यालय भवन के बनाने के सम्बन्ध में।

मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैण्ड के पास प्राधिकरण द्वारा कार पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। जमीन की दुलान अधिक होने के कारण कालम की ऊंचाई बढ़ने00 के फलस्वरूप पार्किंग स्थल के नीचे काफी जगह खाली बचती है हुडको के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक के मसूरी भ्रमण के

दौरान उक्त श्रेण को कलात्मक ढंग से विकसित कर कुछ कार्यालय भवन बनाने हेतु सलाह दी गयी थी।

अतः कार पाकिंग के नीचे उपलब्ध जगह को आवश्यक कलात्मक ढंग से विकसित करने तथा उसी जगह को कार्यालय भवन के रूप में विकसित कायी हुडको नई षठठ दिल्ली को दिया जाना है। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हुडको से कनसल्टैन्सी चायी व इस्टीमेट/नक्शा बनाने के चायी ज्ञात क्रिये जायें।

कार्यावाही सचिव

अनुपूरक विषय क्रमांक:-10:-

हिमालयन हाँस्पिटल प्रा0लि0 द्वारा हरिद्वार रोड पर इंडियन रोड पर प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में।

हिमालयन हाँस्पिटल प्रा0लि0 द्वारा हरिद्वार रोड पर इंडियन इन्सीट्यूट आफ पैटोलिजम के सामने एक षषषषषष अस्पताल के निर्माण के लिए एक मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। महायोजना में इस क्षेत्र का भूउपयोग कृषि निर्धारित है। मानचित्र से प्रकट होता है कि भवन का निर्माण हरिद्वार रोड के किनारे से 80 मीटर पीछे की तरफ प्रस्तावित है और इस प्रकार रोड साईड लैण्ड कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में नहीं पड़ता है। महायोजना में प्राविधान है कि कृषि क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति से हेलथ बिल्डिंग वेलफेयर से सम्बन्धित भवनों के निर्माण की दी जा सकती है। यह चैरिटेबिल प्रोजेक्ट भी बताया गया है। यह बताया गया कि जहां निर्माण प्रस्तावित है उसके निकट एक बाग है। अतः सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजन निम्न बिन्दुओं पर अपनी आख्या/संस्तुति उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी जो अन्तिम निर्णय लेने को सक्षम होगी :-

1-क्या प्रस्तावित निर्माण बाग से बाहर है और इसके कोर्ड पर प्रभावित है या नहीं।

2-क्या यह चैरिटेबिल प्रोजेक्ट/संस्था है।

कार्यावाही सहयुक्त नियोजक

अनुपूरक विषय क्रमांक:-11:-

गान्धी रोड पर छिवाईडर बनाने के सम्बन्ध में ।

जिलाधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 24.11.88 द्वारा दिनांक 03.11.88 को कलक्रेट में सम्पन्न बैठक के निर्णय के अनुसार गान्धी रोड पर बन रहे छिवाईडर पर आने वाली लागत को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बहन किये जाने हेतु सूचित किया है। इन छिवाईडरों की उपयोगिता यातायात की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तथा पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक है। अभियन्ता अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, सां0नि0वि0 ने तदनुसार अपने पत्र सं0-5403/सीर/एसटी-डिवाईडर, दिनांक 02.12.88 द्वारा इस कार्य हेतु धनराशि की मांग की है। अधीक्षण अभियन्ता सां0नि0वि0 जो बैठक में उपस्थित थे से विचार विमर्श के उपरान्त यह बताया कि इस कार्य में कुछ संशोधन करने पर 50,000/- पर्याप्त होगा। अतः सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि प्राधिकरण 50,000/- सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दें।

§कार्यवाही सचिव।

अनुपूरक विषय क्रमांक:-12:-

राजपुर रोड से सरकिट हाऊस को जाने वाले न्यू कैण्ट रोड पर सड़क के दाईं ओर शांति कामलैक्स का मानचित्र ।

प्राधिकरण की दिनांक 16.2.87 की बैठक में अनुपूरक विषय क्रमांक-2 पर इस शांति कामलैक्स के लिये प्रस्तुत मानचित्र पर विचार हुआ था और ~~अनुपूरक~~ ^{अनुपूरक} आपत्तियां उठाई गयी थी। उन आपत्तियों के अनुसार संबंधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया जिसका परीक्षण सहयुक्त नियोजक अधीन नहीं कर पाये है।

सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजक स्थल निरीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

§कार्यवाही सहयुक्त नियोजक §

अनुपूरक विषय क्रमांक:-13:-

श्री मातवर सिंह द्वारा मसूरी में माल रोड़ पर प्रथम तल पर आवासीय उपयोग हेतु तीन कमरे बनाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त सर्व-सम्पत्ति से यह निर्णय हुआ कि वर्तमान दूकानों के ऊपर प्रथम तल पर तीन कमरे के निर्माण की अनुमति दी जाय परन्तु मानचित्र में दूकानों के बगल में भूतल पर प्रस्तावित एक कमरे के निर्माण की स्वीकृति न दी जाय तथा प्रथम तल पर निर्माण के दौरान सड़क पर कोई व्यवधान न किया जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक:-14:-

भैष्यर रिसोर्ट, मसूरी द्वारा कार्टेजेज/होटल के निर्माण मानचित्र के सम्बन्ध में।

मसूरी में भैसो निक लांज कुल्ड्री को जाने वाले मोटर मार्ग के किनारे बड़े मोड के नीचे भैष्यर रिसोर्ट्स द्वारा कार्टेजेज/होटल के निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व ही इस क्षेत्र में उन स्थलों का विकास कार्य प्रारम्भ कर लिया गया था जहाँ कार्टेजेज बनाये जाने हैं। इस अनधिकृत विकास कार्य का जुमाना दिया गया और इसको रूकवा दिया गया है। अब इन्हीं स्थलों पर कार्टेजेज के निर्माण के लिए मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। जिस भूभाग में कार्टेजेज का निर्माण प्रस्तावित है उसमें 400 से भी अधिक घने बांस के पेड़ हैं। यहाँ जगह-जगह पर कार्टेजेज बनाने से निर्माण के समय ये पेड़ कट सकते हैं और इससे क्षेत्र में हरियाली नष्ट हो सकती है। गढ़वाल जल संस्थान ने भी यह सूचित किया है कि इस स्थल पर विभाग की कोई मुख्य लाईन नहीं है और वर्तमान समय में निर्माण सर्व पेय जल हेतु जल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। वन विभाग की भी राय प्राप्त की गयी। उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग ने भी आपत्ति प्रकट की है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र ग्राइवेट फारेस्ट घोषित किया गया है और वृंकि यह घने बांस के जंगल से आच्छादित है, अतः वन संरक्षण के उद्देश्य से वे इसे गृहण करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

उपरोक्त स्थित पर विचार किया गया व उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग जो बैठक में उपस्थित थे को भी सुना गया। उन्होंने अपने बात के दिनांक 07.12.88 के पत्र का हवाला देते स्पष्ट किया गया कि इस इस्टेड का कुल क्षेत्रफल 6.93 एकड़ है जबकि केवल 5 एकड़ को ही प्रायवेट

फारेस्ट घोषित किया गया है और ग्रीब 1.93 एकड़ वृक्ष विहीन है जिसमें मानचित्र सं० 1 के अनुसार 8 काटेजों के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है व ग्रीब काटेजों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि इनका निर्माण स्थल 5 पेड़ों से घिरा हुआ है। उन्होंने मानचित्र संख्या

-2 को प्रस्तावित होटल व मानचित्र सं०-3 में प्रस्तावित भवन निर्माण की अनुमति पर आपत्ति प्रकट की क्योंकि घेड़ स्थल उस 5 एकड़ में से है जो प्रायवेद फारेस्ट घोषित है और जहां पेड़ है व स्थल कमजोर भी है। उप वन संरक्षक ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने वृक्षाच्छादित क्षेत्र को नाप कर यह सुनिश्चित नहीं किया है कि उसका क्षेत्रफल 5 एकड़ ही है ताकि यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि वृक्ष विहीन भाग 1.93 एकड़ ही है। चूंकि 8 काटेजों का निर्माण केवल 540 वर्गज वृक्ष विहीन भाग पर प्रस्तावित है अतः उनका कहना था कि पूरी इंसिटे का क्षेत्रफल 5 एकड़ प्रायवेद फारेस्ट को शामिल करते हुए 6 एकड़ से अधिक ही होगा। इस पर यह संभावना भी व्यक्त की गयी कि प्रायवेद फारेस्ट के क्षेत्र को 5 एकड़ करने के लिये वृक्ष विहीन भाग को भी जोड़ना पड सकता है। अतः सर्व-सम्पत्ति से निर्णय हुआ :-

1-उप वन संरक्षक क्षेत्र को नाप कर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रायवेद फारेस्ट का क्षेत्र कितना है व वृक्षविहीन क्षेत्र कितना है।

2-गढ़वाल जल संस्थान से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि अब केवल 8 काटेजों के लिये उन्हें पेयजल सुविधा उपलब्ध करने में आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त स्थिति स्पष्ट होने पर उपाध्यक्ष को 8 काटेजों का निर्माण स्वीकृत करने के लिये अधिकृत किया गया ।

अनुपूरक विषय क्रमांक:-15:- श्री अजय अग्रवाल द्वारा सिलबर्टन इंसिटे मसूरी में 49 भूखण्डों के विकास हेतु प्रस्तुत मानचित्र ।

प्रत्यक्ष
 भूखण्ड संख्या=1 से 31 तक। अर्थात् 31 भूखण्डों को विकसित करने हेतु अपनी संस्तुति प्रकट की है। इसी संदर्भ में उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग मसूरी से भी आशुया मांगी गयी। उन्होंने बताया है कि भूखण्ड संख्या-1 से 31 में वृक्ष नहीं है व ग्रीब भूखण्डों में पेड़ है व उनका टाल

अधिक है। इस स्थान पर जल आपूर्ति हेतु गढ़वाल जल संस्थान द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिशा गया है।

विवारोपरान्त सर्व-सम्पत्ति से यह निर्णय हुआ कि चूंकि यह ईस्टैट प्रायवेड फारेस्ट है, अतः उप वन संरक्षक का पत्र अस्पष्ट समझा गया क्योंकि उन्होंने कोई स्पष्ट संस्तुती या अनापत्ति प्रकट नहीं की है, अतः उनसे स्पष्ट आशय/संस्तुति देने को कहा जाय ।

कार्यवाही उपाध्यक्ष :

अनुपूरक विषय क्रमांक:-16:-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में ।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक, लेखाकार, अधिशासी अभियन्ता व 7 अवर अभियन्ताओं के पद काफ़ी समय से रिक्त चले आने के कारण उत्पन्न कठिनाई पर विचार किया गया व यह निर्णय लिया गया कि एक सहायक नगर नियोजक & सहयुक्त नियोजक को प्राधिकरण कार्य में सहायता हेतु एक अधिशासी अभियन्ता, एक लेखाकार, तीन अवर अभियन्ताओं की शीघ्र नियुक्ति की जाय व तदनुसार प्रत्येक मामले में अलग-अलग शासन से अनुरोध किया जाय।

कार्यवाही सचिव/कार्यालय अध्यक्ष :

अनुपूरक विषय क्रमांक:-17:-

आ विडकार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से यह तलपट मानचित्र, प्राधिकरण के सम्मोच विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इसके विषय में यह बताया गया कि यहां जमीन निम्न सतही लो-लाईन लैण्ड है इसके अलावा इसमें उपयुक्त मार्ग नहीं दिया गया है। यह स्थल केवल विद्यार गालोनी के पीछे है और वहां के निवासियों के मकानों को इस क्षेत्र में बुदाई

करने में खतरा ही सकता है। सहयुक्त नियोजक उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर तलपट मानचित्र का परीक्षण करते हुये उपर्युक्त को अपनी विस्तृत आख्या प्रस्तुत करेंगे।

॥ काशीवादी सहयुक्त नियोजक ॥

Signature
॥ मोदी जीव ॥
सचिव,
मोदी विद्युत,
देहरादून ।

Signature
॥ प्रताप सिंह ॥
उपस्थ,
मोदी विद्युत,
देहरादून ।

Signature
॥ रामरामपानी ॥
अस्थ,
मोदी विद्युत,
देहरादून ।

Signature
24.12.85